

Shikha
सहायक कलेक्टर

(न्यायालय सहायक कलेक्टर देवगढ़)

16.8

27.11.19. पत्रावली पेश हुई। उमभयपक्ष
साक्षिवक्ता उपस्थित। प्राथमिक एवं अर्थी
के साक्षिवक्ता ने एड जगपथ पेश
कर प्रकरण में पुनर्वादी दिनांक 28.11.19
रखने का अलत निवेदन दिख्य। अर्थी
पक्ष स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण
से आगामी पुनर्वादी दिनांक 28.11.19
नियत की जाती है। पत्रावली दिनांक
28.11.19 को पेश है।

27.

28.11.19. पत्रावली पेश हुई। उमभयपक्ष
साक्षिवक्ता उपस्थित। साक्षिवक्ता प्राथमिक
श्री उमभयपक्ष में एड अर्थीना पक्ष
पेश कर प्रकरण विप्रे करने का अलत
निवेदन दिख्य। इसपर साक्षिवक्ता अर्थीना
की सहमति है। वकील वादी द्वारा प्रकरण
में आगे कोई कार्यवाही नहीं करने से
प्रकरण में कार्यवाही शेष की जाती है। पत्रा.
सम्बन्ध के अम की जावे।

Shikha
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला न्यायालय
देवगढ़